न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 51/2010

बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी महुवां तहसील मांगरोल जिला बारां

—वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूलाल माली निवासी महुवां तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादी क्रम 1:— श्री वीरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांकः 02.07.2010

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी का पुराना खलिहान ग्राम महुवा में खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 का स्थित है। जिस पर गत 50 वर्षो से वादी परिवार का निरन्तर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। जिसको लेकर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा समय—समय पर वादी के विरूद्ध जुर्माना नोटिस दिया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी की उक्त कब्जे की आराजी को स्वयं के नाम आवंटित करवा लिया हैं। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वर्ष 2001, वर्ष 1992 से नोटिस जुर्माना किया हुआ है, जिसके आधार पर वादी को एडवर्स पजेशन साबित है, और लगातार कब्जे के आधार पर वादी बाअर्सा 12 वर्ष से अधिक समय से काबज होने से प्रतिवादी क्रम 1 का ऐलोटमेंट शून्य घोषित करवाकर वादी के खाते दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 वाके माल महुवा की आराजी पर झूंठी सूचना देकर करवाये ऐलोटमेंट को शून्य घोषित कर वादी को नियमानुसार राशी जमा करवाकर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वादी के कब्ज के खलिहान खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.07.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह ने वकालत नाम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा दिनांक 08.10.2015 को

जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पत्र वादी समस्त मद अस्वीकार है। एवं निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 को आराजी खसरा नं0 492 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन कमेटी के नियमानुसार आवंटन हुआ है। एवं उक्त आराजी आज से पहले सिवायचक भूमि थी। बाद सेटलमेंट उक्त आराजी के नवीन खसरा नं0 422/1183 रकबा 0.56 है0 कायम किये गये है। चूकि वादी प्रतिवादी की भूमि खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 को हडपना चाहता है इस कारण वादी ने उक्त वाद गलत तथ्यो पर पेश किया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विशेष हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 17.12.2018 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अवगत करवाया कि:–

1. वाद पत्र की बिन्दु सं0 1 स्वीकार है।
2. वाद पत्र की बिन्दु सं0 2 आंशिक स्वीकार है। वादी का ग्राम महुवां के खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि पर जो पुराना खलिहान बतायी गयी है। पर अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार है। वादी द्वारा भूमि को समतल करने में 1 लाख रूपये खर्च करना आदि तथ्य गैर कानूनी एवं निराधार होने से अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की बिन्दु सं0 3 अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की बिन्दु नं0 4 आंशिक स्वीकार है। वादी का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण होना स्वीकार है तथापि वादी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होना अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की बिन्दु नं0 5 जानकारी से परे होने से अस्वीकार है।
6. वाद पत्र की बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की बिन्दु नं0 7 अस्वीकार है।
8. वाद पत्र की बिन्दु नं0 8 वादी की ओर से व्यक्तिगत जानकारी होने से अस्वीकार है।
9. वाद पत्र की बिन्दु नं0 9, 10 एवं 11 कानूनी है।

<u>विशेष निवेदनः–</u>

यह है कि वर्तमान में ग्राम महुवां के खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिस पर वादी बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी महुवां तहसील मांगरोल का मुताबिक पत्रावली में संलग्न नकल नोटिस धारा 91 एल0 आर0 एक्ट0 1956 वर्ष ... के आधार पर वादी वादी बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी महुवां

... रूप से अतिक्रमण काश्त होना दर्शाया है। और इसी अतिक्रमण/देरीना प्रतिकूल कब्जे काश्त (... पजेशन) के आधार पर दिये जाने खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

... में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से राजकीय

... सरकारी भूमि है उस पर

...होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अविलम्ब राजहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, प्रदर्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल दिनांक 20.12.2018 के प्रकाश में वादी केवल कब्जे के आधार पर आराजी ग्राम महुवां के खसरा नं0 422 रकबा 0.28 है0 किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है को खाते दर्ज करवाना चाहता है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना...